**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1794**

**06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: कृषि संबंधी गतिविधियों में विविधता लाया जाना**

**1794. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करने के लिए कृषिगत गतिविधियों में विविधता लाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

**(क) और (ख):** कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग पहले से ही कपास, पटसन और गन्ने के लिए वाणिज्यिक फसल विकास कार्यक्रम चला रहा है जो प्रमुखत: वर्ष 2014-15 से चलाए जा रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अधीन विभिन्न उद्योगों/कृषि उद्योग में उपयोग की जाने वाली औद्योगिक फसलें हैं। राज्य भी राज्‍य सरकार की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी), जो इस योजना के तहत कार्यान्‍वयन के लिए परियोजनाएं अनुमोदित करने के लिए अधिकार प्राप्‍त निकाय है, के अनुमोदन से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प हेतु लाभकारी दृष्‍टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) के तहत इन वाणिज्‍यिक फसलों के उत्पादन के लिए परियोजनाएँ चला सकते हैं। यह विभाग भी समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्‍वित कर रहा है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ फल, सब्जियों, कंद एवं मूल फसलों, फूल, सुगंधित और औषधीय फसलों, मसालों और रोपण फसलों को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र में प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण के लिए तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

\*\*\*\*